प्रेषणाशाखा
NN 02/1/19

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0स0–पि०व०/छात्रावास नि0/प्र0/सं–45–02/2018– 02.

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 02/01/19

विषयः– **कोसी कॉलेज, खगड़िया के प्रांगण में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में साईकिल शेड एवं बेंच के निर्माण, शौचालय एवं बोरिंग निर्माण कार्य तथा विद्युतीकरण सहित भवन मरम्मति/जीर्णोद्वार कार्य हेतु कुल लागत व्यय 62,59,722/– (बासठ लाख उनसठ हजार सात सौ बाईस) मात्र पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा भवन निर्माण विभाग को राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोसी कॉलेज, खगड़िया के प्रांगण में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में साईकिल शेड एवं बेंच के निर्माण, शौचालय एवं बोरिंग निर्माण कार्य तथा विद्युतीकरण सहित भवन मरम्मति/जीर्णोद्वार कार्य हेतु कुल लागत व्यय 62,59,722/– (बासठ लाख उनसठ हजार सात सौ बाईस) मात्र पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृति राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत मांग सं0–03 के तहत बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–051–निर्माण उप शीर्ष–0118 पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विषय शीर्ष–53 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–03–4059800510118 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशो के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होगें तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 के आलोक में निकासी की कार्रवाई करेंगे।

5. भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं समय सीमा के अन्दर जीर्णोद्वार कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

2.1.19

(प्रेम सिंह मीणा)
सचिव।

D/Neeraj/Sanction order (ramesh)

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रावास नि0/प्र0/सं–45–02/2018– 02. पटना, दिनांक– 02/01/19

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.1.19.

सचिव।